न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 26/2024 **तारीख रजू:–27.05.2024**

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024/39

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. मदन सिंह पुत्र छीतर सिंह राजपूत निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पुत्र कल्याण अहीर निवासी ढाणी उम्मेदपुरा, ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. श्योजी पुत्र कल्याण अहीर निवासी ढाणी उम्मेदपुरा, ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. हनुमान पुत्र कल्याण अहीर निवासी ढाणी उम्मेदपुरा, ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थितः:–

वकील प्रार्थी:–श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील अप्रार्थीगणः– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 22.11.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम शिवाड़ का निवासी है, जिसका पटवार मण्डल शिवाड़ ए में खाता संख्या 368 है, जिसके खसरा नंबर 452 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 453 रकबा 2.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.58 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी नियमित रूप से काश्त कर रहा है। प्रार्थी के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का खेत खाता संख्या 677 है, जिसमें कुल किता 6 में से खसरा नंबर 454 प्रार्थी के खेत के दक्षिण दिशा से लगता हुआ है। प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है, जो अपनी खेती का काम मजदूरों से करवाता है। प्रार्थी के खेत की विभाजन रेखा को पार करने का प्रयास करते है, जिस विवाद की नौबत आ रही है। दिनांक 10.05.2024 को प्रार्थी की सीमा में घुसकर जे0सी0बी0 मशीन से प्रार्थी के खेत की विभाजन रेखा को समाप्त करने का प्रयास किया, जिस पर पड़ोसियों के माध्यम से समझाईश करने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेत की मेड़ को तोड़कर अपने खेत में मिलाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

की धमकी देते हुए बमुश्किल वहां से चले गये। प्रार्थी अपने खातेदारी के खाता संख्या 368 की निश्चित पहचान करने के बाद चारों तरफ स्थाई दीवार का निर्माण करना चाहता है, ताकि हर वर्ष होने वाले विवाद व खेत की मेड़ को अपने खेतों में मिलाने के विपक्षी के प्रयास को विफल किया जा सके। प्रार्थी ने इस विवाद को निपटाने के लिये गत वर्ष दिनांक 06.07.2023 को अपने खेतों का सीमाज्ञान करवाया था। इस दौरान पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खेतों की सीमाओं को नापकर वहां पर निशान कायम किये थे, जिसे विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से हटा दिया। इस बाबत् प्रार्थी ने पुलिस में भी शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित खेत खसरा नंबर 452 रकबा 0.06 है0 व खसरा नंबर 453 रकबा 2.52 है0 का डीमार्केशन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी कर उनको तलब किया गया।

3. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब पेश किया है कि प्रार्थी जिन खसरा नंबरान की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, उन पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

4. उनवानी प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/2133 दिनांक 20.11.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है, जो निम्नानुसार है–

   - यह है कि ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित खसरा नंबर 452 रकबा 3.06 है0 एवं खसरा नंबर 453 रकबा 2.52 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मदनसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत सा0 देह के नाम दर्ज है।
   - उक्त खसरा नंबरान पर मदन सिंह पुत्र छीतरसिंह का कब्जा काश्त है, परन्तु दक्षिणी मेड़ पर विवाद है।
   - उक्त खसरा नंबरान का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है, परन्तु दोनों पक्षों में सीमा विवाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

9. बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं [illegible] दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. हमने वकील उभयपक्षों की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज [illegible] तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट से पूर्व में सीमाज्ञान किया जाना स्पष्ट होता है। तहसीलदार, की रिपोर्ट के अनुसार विवादित खसरा नंबर 452 रकबा 3.06 है0 एवं खसरा नंबर 453 रकबा 2.52 का प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

रिकॉर्डेड खातेदार है, जिन पर प्रार्थी का ही कब्जा है, केवल उभयपक्षों में दक्षिणी मेड़ पर विवाद है। पूर्व में सीमाज्ञान के बावजूद पक्षकारों में सीमा विवाद मौजूद है। दक्षिणी सीमा के मेड़ के विवाद को खत्म करने के लिये उक्त विवादित खसरा नंबरान पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को राजस्व ग्राम शिवाड़ के पटवार मण्डल शिवाड़ ए के खसरा नंबर 452 रकबा 3.06 है0 व खसरा नंबर 453 रकबा 2.52 है0 की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested